उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
(विधि अनुभाग)
104,महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ।

संख्या : 243 /UPHDB/ HQ/LEG -21 दिनांक 25/1/11

कार्यालय–आदेश

एतदद्वारा पूर्व में जारी आदेशों के कम में उ0 प्र0 आवास एव विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या–1 सन् 1966) की धारा–12(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम0 वी0 एस0 रामीरेड्डी, आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या–1 सन् 1966) की धारा–82 एवं धारा–83 के अधीन प्राप्त शक्तियों तथा उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–1 सन् 1966) की धारा–83 के अधीन उ0 प्र0 सरकार के निवास अनुभाग–2 द्वारा जारी नोटीफिकेशन संख्या–5671/{1} 37–2–61/एच0बी0/71 दिनांक 14 मार्च 1973 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रतिनिधायन उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद में कार्यरत समस्त अपर आवास आयुक्त/समस्त संयुक्त आवास आयुक्त/समस्त उप आवास आयुक्त/समस्त अधीक्षण अभियन्ता/समस्त अधिशासी अभियन्ता को परिषद की समस्त योजनाओं में इस शर्त के साथ प्रतिनिधानित करता हूँ कि उक्त अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध किसी प्रत्यावेदन पर पुनरीक्षण एवं संशोधन आवास आयुक्त द्वारा ही किये जा सकेगें।

(एम0 वी0 एस0 रामीरेड्डी)
आवास आयुक्त
24/1/11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, आवास आयुक्त।
2– अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, मुख्यालय।
3– वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक, मुख्यालय।
4– समस्त संयुक्त आवास आयुक्त/उप आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
5– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
6– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/सम्परीक्षा अधिकारी।
7– समस्त उप खण्ड प्रभारी/सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
8– समस्त सहायक आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
9– मुख्यालय के समस्त अनुभागाध्यक्ष।

24/1
(आर0 बी0 राय)
मुख्य विधि परामर्शदाता

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
(विधि अनुभाग)
104,महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ।

संख्या : 744 /UPHDB/ HQ /LEG-21 दिनांक 25/1/11

कार्यालय–आदेश

एतदद्वारा पूर्व में जारी आदेशों के कम में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या–1, 1966) की धारा–12(2) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम0 वी0 एस0 रामीरेड्डी, आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ उक्त अधिनियम की धारा–73 के अधीन दण्डनीय अपराध के वास्ते किसी व्यक्ति/व्यक्तियों, जो परिषद अधिनियम की धारा–23, 24 या 35 के प्राधिकारों का उल्लंघन करने, किसी भवन का निर्माण या पुनः निर्माण या उसमें परिवर्तन या परिवर्धन करता है/करते हैं, के विरूद्ध दण्डाधिकारी के समक्ष उक्त अधिनियम की धारा–79 के अन्तर्गत शिकायत संस्थित कराने के कत्वर्य एवं अधिकार उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद के समस्त अधिशासी अभियन्ता, समस्त प्रभारी अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी, समस्त सहायक अभियन्ता (जहां स्थानीय रूप से अधिशासी अभियन्ता नहीं रहते हैं) समस्त अपर आवास आयुक्त, अपर निबन्धक, समस्त संयुक्त/उप आवास आयुक्त, समस्त सहायक आवास आयुक्त, समस्त सम्पत्ति प्रबन्धक को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत परिषद हित में एतदद्वारा प्रतिनिधानित करता हूँ।

(एम0वी0एस0 रामीरेड्डी)
आवास आयुक्त
25/1/11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, आवास आयुक्त।
2– अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, मुख्यालय।
3– समस्त अपर आवास आयुक्त/अपर निबन्धक (सहकारिता) मुख्यालय।
4– वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक, मुख्यालय।
5– मुख्य विधि परामर्शदाता, मुख्यालय।
6– समस्त संयुक्त/उप आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
7– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/सम्परीक्षण अधिकारी, मुख्यालय।
8– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/वास्तुविद नियोजक/प्रभारी उप खण्ड अधिकारी/सहायक अभियन्ता, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
9– समस्त सहायक आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
10– मुख्यालय के समस्त अनुभागाध्यक्ष।

(आर0 बी0 राय)
मुख्य विधि परामर्शदाता

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
(विधि अनुभाग)
104,महात्मा गांधी मार्ग,लखनऊ।

संख्या : 715 /UPHDB/ HQ /LEG-21 दिनांक 25/1/11

कार्यालय–आदेश

एतदद्वारा पूर्व में जारी आदेशों के क्रम में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या–1, 1966) की धारा–12(2) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम0 वी0 एस0 रामीरेड्डी, आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ उक्त अधिनियम की धारा–89 के अधीन निर्गत शक्तियों को उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद के अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, समस्त अपर आवास आयुक्त/समस्त संयुक्त आवास आयुक्त/समस्त उप आवास आयुक्त/समस्त अधीक्षण अभियन्ता/समस्त अधिशासी अभियन्ता/समस्त सहायक आवास आयुक्त/समस्त सम्पत्ति प्रबन्धक को प्रतिनिधानित करता हूँ।

(एम0 वी0 एस0 रामीरेड्डी)
आवास आयुक्त
25/1/11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, आवास आयुक्त।
2– अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, मुख्यालय।
3– समस्त अपर आवास आयुक्त/अपर निबन्धक (सहकारिता) मुख्यालय।
4– वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक, मुख्यालय।
5– मुख्य विधि परामर्शदाता, मुख्यालय।
6– समस्त संयुक्त/उप आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
7– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/सम्परीक्षण अधिकारी, मुख्यालय।
8– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/वास्तुविद नियोजक/प्रभारी उप खण्ड अधिकारी/सहायक अभियन्ता, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
9– समस्त सहायक आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
10– मुख्यालय के समस्त अनुभागाध्यक्ष।

25/1
(आर0 बी0 राय)
मुख्य विधि परामर्शदाता

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद
(विधि अनुभाग)
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

पत्रांक 246 / UPHDB/ HQ/LEG-21 दिनांक 25/1/11

कार्यालय–आदेश

पूर्व कार्यालय–आदेश संख्या–1046 / UPHDB/ LEG (HQ)-21, दिनांक 05.05.2010 का तात्कालिक प्रभाव से अतिक्रमण करते हुए मैं, एम0 वी0 एस0 रामीरेड्डी, आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या–1 सन् 1966) की धारा–88 (1) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों को उक्त परिषद अधिनियम की धारा–12 (2) के अन्तर्गत प्रतिनिधानित करता हूँ :–

1– परिषद की ओर से (प्रशासन को छोडकर) वाद, रिवीजन, अपील, रिट याचिका एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संस्थित करने एवं परिषद के विरूद्ध दायर वादों, रिवीजन, अपील, रिट याचिका एवं विशेष अनुज्ञा याचिका का विरोध करने हेतु वकालतनामा हस्ताक्षरित करने, अधिवक्ताओं के फीस बिल, न्याय शुल्क, विविध व्यय का नियमानुसार भुगतान करने हेतु श्री हरबंस सिंह चुघ, संयुक्त आवास आयुक्त को अधिकार प्रतिनिधानित करता हूँ तथा प्रशासन सम्बन्धी वाद, रिवीजन, अपील, रिट याचिका एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संस्थित करने एवं परिषद के विरूद्ध दायर वादों, रिवीजन, अपील, रिट याचिका एवं विशेष अनुज्ञा याचिका का विरोध करने हेतु वकालतनामा हस्ताक्षरित करने, अधिवक्ताओं के फीस बिल, न्याय शुल्क, विविध व्यय का नियमानुसार भुगतान करने हेतु श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, उप आवास आयुक्त को उपर्युक्त धारा के अन्तर्गत अधिकार प्रतिनिधानित करता हूँ। श्री हरबंस सिंह चुघ, संयुक्त आवास आयुक्त तथा श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, उप आवास आयुक्त एक दूसरे के लिंक अधिकारी होंगे तथा एक दूसरे की अनुपस्थिति में उनका कार्य देखेंगे।

2– परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सम्पादित किये जा रहे परिषद के कार्यों से सम्बन्धित जिला न्यायालयों, जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम एवं जनपद स्तर के अन्य सभी न्यायालयों में वाद संस्थित करने एवं परिषद के विरूद्ध वादों का विरोध करने हेतु वकालतनामा हस्ताक्षरित करने, अधिवक्ताओं के फीस बिल, न्याय शुल्क, विविध व्यय का नियमानुसार भुगतान करने, वाद पत्र व अभिकथन, आपत्ति का ज्ञापन, संदर्भ पुनरीक्षण का कार्य विभिन्न कार्यालयों के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रतिनिधानित करता हूँ :–

(क)	वृत्त कार्यालय से सम्बन्धित;	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता को।
(ख)	खण्ड कार्यालयों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय से सम्बन्धित;	अधिशासी अभियन्ता / उप खण्ड प्रभारी / सहायक अभियन्ता को।

(ग) सहायक आवास आयुक्त कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से सम्बन्धित; — सम्बन्धित सहायक आवास आयुक्त एवं सम्पत्ति प्रबन्धकों को।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन न्यायालयों/आयोग/न्यायाधिकरण से सम्बन्धित वादों में अधिवक्तागण की फीस का भुगतान विधि अनुभाग, मुख्यालय से किया जाता है परन्तु भुगतान की तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए विविध व्यय का भुगतान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कर दिया जाता है तो उक्त भुगतान की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा तत्काल विधि अनुभाग, मुख्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

यदि किसी समय कार्यालय में उपरोक्त पदों का कोई अधिकारी तैनात/उपलब्ध नहीं है तो उस दशा में वाद से सम्बन्धित यह कार्य उनके कार्यालय के ऊपर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

3— माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, कम्पटीशन कमीशन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय अन्य मा0 न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में लम्बित वादों में शपथ पत्र सम्बन्धित अपर आवास आयुक्त/संयुक्त आवास आयुक्त/उप आवास आयुक्त/सहायक आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता अथवा उनके उच्च अधिकारियों द्वारा ही निर्धारित समयावधि में दाखिल किया जाना व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त श्रेणी के मा0 न्यायालयों में वाद/अपील/याचिका एवं विशेष अनुज्ञा याचिका संस्थित करने एवं वाद/अपील/याचिका/विशेष अनुज्ञा याचिका में विरोध करने की अनुमति तथा वकालतनामा हस्ताक्षरित करवाने की कार्यवाही मुख्यालय द्वारा सम्बन्धित अनुभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी, न कि स्थानीय कार्यालय द्वारा।

4. उ0 प्र0 के विभिन्न जिला न्यायालयों, जिला फोरम एवं जनपद स्तरीय अन्य सभी न्यायालयों में शपथ पत्र सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्धक तथा सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा, उनके ऊपर के सक्षम अधिकारी स्तर से पूर्व अनुमोदन के उपरान्त, निर्धारित समय अवधि में, दाखिल किया जाना उनका दायित्व होगा जिसे व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त अधिकारियों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

5. इसके अतिरिक्त यह भी आदेशित किया जाता है कि मुख्यालय स्थित लेखा अनुभाग, अभियन्त्रण अनुभाग, सहकारिता अनुभाग एवं इन्दिरा नगर स्थित मुख्य वास्तुविद नियोजक कार्यालय द्वारा जो वाद देखे जा रहे हैं उन वादों की पैरवी का समस्त कार्य सम्बन्धित कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

6— विशेष परिस्थितियों में, वाद वापस लेने एवं समझौता करने का अधिकार अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/समस्त अपर आवास आयुक्त/संयुक्त आवास आयुक्त/उप आवास

आयुक्त (जोन) को इस शर्त के अधीन प्रतिनिधानित करता हूँ कि वे वाद वापसी एवं समझौते के लिये आवास आयुक्त की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करेगें।

आदेशित किया जाता है कि वादों में उन्हीं अधिवक्तागण को engage किया जायेगा जिनका नाम परिषद अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित है और इस व्यवस्था में, विशेष परिस्थिति में, विचलन के लिये आवास आयुक्त की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

(एम0वी0एस0 रामीरेड्डी)
आवास आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, आवास आयुक्त।
2– अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/अपर निबन्धक (सहकारिता) मुख्यालय।
3– वित्त नियंत्रक/मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक, मुख्यालय।
4– मुख्य विधि परामर्शदाता, मुख्यालय।
5– समस्त अपर/संयुक्त/उप आवास आयुक्त, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।
6– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/सम्परीक्षण अधिकारी, मुख्यालय।
7– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक/प्रभारी उप खण्ड अधिकारी/सहायक अभियन्ता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।
8– समस्त सहायक आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।
9– मुख्यालय के समस्त अनुभागाध्यक्ष।

(आर0 बी0 राय)
मुख्य विधि परामर्शदाता

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद
(विधि अनुभाग)
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

पत्रांक 1341 /विधि अनु0/मानी0 सेल दिनांक 24/07/09

कार्यालय–आदेश

पूर्व मे निर्गत कार्यालय आदेश Document No-UPHDB/OO/LEG/4/दिनांक 01–04–2000 द्वारा जिला स्तरीय एवं उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न प्रकार के वादों में परिषद की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं को दी जाने वाली फीस निर्धारित की गई थी। आवश्यकता को देखते हुए उक्त कार्यालय आदेश का अतिक्रमण करते हुए परिषद अधिवक्ताओं की फीस का निर्धारण निम्नवत किया जाता है :–

1– माननीय सर्वोच्च न्यायालय–

(1)	एडवोकेट आन रिकार्ड	अध्ययन तैयारी, ड्रफ्टिंग व फाइलिंग	रू0 5500/– व 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय ।
(2)	प्रतिदिन उपस्थिति हेतु फीस दर		रू0 2200/–
(3)	अधिवक्ता को उक्त फीस मात्र लगातार तीन तिथियों तक देय होगी उसके पश्चात उन्हें प्रत्येक कार्य दिवस में उक्त की एक तिहाई फीस दर देय होगी–		
(4)	यदि वे स्वतंत्र रूप से बिना वरिष्ठ अधिवक्ता की सहायता के अन्तिम बहस कर रहे हैं या ऐसी कोई तिथि जिसमें स्थगन प्रार्थना पत्र, अन्तरिम प्रार्थना पत्र अथवा सब्स्टीट्यूशन आदि पर बहस होती है–		रू0 5000/–
(5)	यदि वे वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ बहस कर रहे हैं तो उनसे कान्फ्रेन्स करने की फीस तथा अन्तिम बहस की फीस सहित–		रू0 5000/–

बन्च वादों में–

(1)	यदि एक प्रकृति की कई एस0एल0पी0 या अपील आदि हैं तो उस दशा में प्रथम एस0एल0पी0/अपील में–	रू0 5500/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।

आवास आयुक्त

(2)		शेष प्रति केस में मुख्य वाद की एक तिहाई फीस तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।	
(3)	(i)	प्रतिदिन उपस्थिति हेतु फीस दर–	रू0 2200/–
	(ii)	अधिवक्ता को उक्त फ़ीस मात्र लगातार तीन तिथियों पर देय होगी उसके पश्चात उन्हें प्रत्येक कार्य दिवस में उक्त की एक तिहाई फीस दर देय होगी।	
(4)		यदि वे स्वतंत्र रूप से बिना वरिष्ठ अधिवक्ता की सहायता के अन्तिम बहस कर रहे हैं या ऐसी कोई तिथि जिसमें स्थगन प्रार्थना पत्र, अन्तरिम प्रार्थना पत्र अथवा सब्स्टीट्यूशन आदि पर बहस होती है–	रू0 5000/–
(5)		यदि वे वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ बहस कर रहे हैं तो उनसे कान्फ्रेन्स करने की फीस तथा अन्तिम बहस की फीस सहित–	रू0 5000/–
(6)	(i)	बन्च वादों में प्रथम (लीडिंग) एस0एल0पी0 या प्रथम (लीडिंग) अपील में प्रतिदिन उपस्थिति लगातार तीन तिथियों पर देय होगी।	रू0 2200/–
	(ii)	शेष वादों में उक्त की एक तिहाई फीस देय होगी।	

2– <u>माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग–</u>

(1)	अधिवक्ता के अध्ययन, तैयारी, ड्राफ्टिंग व फाइलिंग हेतु–	रू0 4000/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।
(2)	प्रतिदिन उपस्थिति हेतु –	रू0 1100/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।

3– <u>माननीय एम0 आर0 टी0 पी0–</u>

(1)	अधिवक्ता के अध्ययन, तैयारी, ड्राफ्टिंग व फाइलिंग हेतु –	रू0 4000/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।
(2)	प्रतिदिन उपस्थिति हेतु–	रू0 1100/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।

आवास आयुक्त

4– माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद /लखनऊ पीठ–

प्रति केस हेतु फीस दर–	रू0 3300/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय

(क) रिट याचिका दाखिल करते समय या रिट याचिकाओं में प्रति शपथ पत्र दाखिल करने पर अधिवक्ता को 1/3 फीस देय होगी और 2/3 फीस रिट याचिका पर अन्तिम निर्णय होने के पश्चात फैसले की प्रमाणित नकल उपलब्ध कराने पर देय होगी।

(ख) ऐसी रिट याचिकायें जो कि पूर्व में किसी अन्य अधिवक्ता द्वारा तैयार की गई हो या जिन याचिकाओं में प्रति शपथ पत्र पूर्व में अन्य अधिवक्ता द्वारा तैयार किया गया है, किसी कारणवश अन्य अधिवक्ता को हस्तान्तरित होती है तो ऐसी स्थिति में वकालतनामा दाखिल करते समय कुल फीस का 1/5 अधिवक्ता को देय होगा।

(ग) विपक्षी द्वारा दाखिल जो रिट याचिकायें एडमीशन स्टेज पर खारिज हो जाती हैं उनमें परिषद अधिवक्ता को 1/3 फीस देय होगी तथा जो रिट याचिकायें परिषद के विरूद्ध स्वीकार कर ली जाती हैं उनमें परिषद अधिवक्ता को 1/5 फीस देय होगी।

प्रथम अपील–

(1) भूमि अर्जन सम्बन्धी प्रथम अपील जिसका मूल्यांकन 20 लाख रूपये तक है, उसमें अधिवक्ता की फीस हाई कोर्ट रूल्स के नियम 16 अध्याय 2 के अनुसार देय होगी।

(2) रूपया 20 लाख से ऊपर प्रत्येक मूल्यांकन धनराशि के लिये भी उक्त हाई कोर्ट रूल्स के अनुसार अधिवक्ता फीस देय होगी परन्तु यह फीस किसी भी दशा में रू0 30,000/– से अधिक नहीं होगी।

(3) प्रथम अपील (भूमि अर्जन) में उपरोक्तानुसार फीस देय होगी परन्तु अपील दाखिल करते समय यदि धारा–5 लिमिटेशन एक्ट के साथ है तो 1/6 फीस स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद दी जायेगी। यदि प्रथम अपील दाखिल करने के साथ ही स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जाता है तो 1/3 फीस देय होगी, शेष 2/3 फीस या 5/6 फीस अन्तिम निस्तारण के पश्चात देय होगी।

आयकर वाद –	रू0 1500/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।
विकीकर वाद –	रू0 1500/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।

5– राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग –

प्रति केस हेतु –	रू0 2200/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।

अपर आयुक्त

6– **लोक सेवा अधिकरण –** प्रति केस	रू0 3300/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।
7– **जनपद न्यायालय–**	रू0 1250/–से रू0 2250/– तक तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।
(1) **सिविल तथा भूमि अर्जन वाद–**	
(क)– 7 वर्ष तक अनुभव वाले अधिवक्ता	रू0 1250/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।
(ख)– 15 वर्ष तक अनुभव वाले अधिवक्ता	रू0 1750/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।
(ग)– 15 वर्ष से अधिक अनुभव वाले अधिवक्ता	रू0 2250/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।
(2) **वाद/निगरानी/अपील हेतु –**	
(क) यदि एक पक्षीय निर्णीत हो जाय–	उपरोक्त फीस का 1/3 अनुभव के आधार पर।
(ख) यदि सुलह हो जाय–	उपरोक्त फीस का 1/3 अनुभव के आधार पर।
(ग) परिषद के विरूद्ध दाखिल वाद, अपील अथवा निगरानी यदि अदम पैरवी में खारिज हो जाय–	उपरोक्त फीस का 1/3 अनुभव के आधार पर।
(3) **सी0 पी0 सी0 के आर्डर ix रूल 9 व आर्डर ix रूल 13 के मामलों में –**	
(क) पी0 पी0 एक्ट के वाद–	रू0 1000/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।
(ख) यदि प्रतिवादी बकाया धनराशि जमा कर सुलह कर ले तो आधी फीस देय होगी–	रू0 500/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।

आवास आयुक्त

(ग)	(1) भूमि अध्याप्ति अधिनियम,1894 के अन्तर्गत रेफरेन्स में अधिवक्ता की फीस –	उपरोक्तानुसार फीस अनुभव के आधार पर
	(2) यदि एक एवार्ड के अन्तर्गत कई रेफरेन्सेज हों–	
	(i) लीडिंग रेफरेन्स में अधिवक्ता की फीस–	उपरोक्तानुसार फीस अनुभव के आधार पर
	(ii) प्रत्येक कनेक्टेड रेफरेन्स में अधिवक्ता की फीस–	उपरोक्त फीस का 1/3 अनुभव के आधार पर
(घ)	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के समक्ष मूल अभिनिर्णय स्टेज पर।	रू0 750/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।
(ङ)	भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 28–ए के अन्तर्गत वाद–	रू0 750/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।
8–	<u>जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम –</u> प्रति केस हेतु फीस दर–	रू0 1100/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।
9–	इजरा वाद हेतु फीस दर–	उपरोक्त की 1/2 फीस
10–	<u>श्रम न्यायालय</u> –	
क–	श्रम न्यायालय/औद्योगिक ट्रिब्युनल में सन्दर्भित एडजूडिकेशन वाद–	रू0 1250/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।
ख–	कन्सीलिएशन वादों में विधिक प्रतिनिधि अधिवक्ता हेतु –	रू0 625/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।
ग–	आज्ञप्ति (डिक्री) के निष्पादन हेतु (इजरा वाद)–	रू0 625/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।
घ–	<u>Arbitration के मामलों में</u> –	
	(i) विवाचक के समक्ष परिषद का पक्ष रखने व पैरवी हेतु–	रू0 300/– प्रतिदिन
	(ii)तीन घण्टे से कम अवधि होने पर–	रू0 150/–
	(iii) परन्तु पूरे वाद की अधिकतम फीस	रू0 3000/–

11–	**फौजदारी वाद –**	
	क– उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अध्याय VIII के अन्तर्गत संस्थित फौजदारी वाद में–	रू0 1000/–
	ख– अभियुक्त के विरूद्ध चार्ज शीट लगने से पूर्व यदि वाद खारिज हो जाय अथवा अतिक्रमण हटा लिया जाता है तो–	सम्पूर्ण फीस का 1/3 भाग
	ग– अभियुक्त के विरूद्ध चार्ज शीट लगने के बाद वाद यदि वापिस हो जाय–	सम्पूर्ण फीस का 1/2 भाग
12–	**राजस्व वाद–**	रू0 1000/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।
13–	**केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के वाद –**	रू0 2000/– तथा 15% क्लर्केज एवं वास्तविक विविध व्यय।

नोटः–

(1) सभी वाद में (रिट याचिका को छोडकर) प्रति शपथ पत्र/जवाब दावा दाखिल करने पर कुल वाद की आधी फीस, क्लेर्कल चार्जेज का आधा तथा वास्तविक विविध व्यय का भुगतान होगा, शेष भुगतान बाद में निर्णय के उपरान्त किया जायेगा।

(2) अपील या निगरानी में मूल वाद में देय फीस के बराबर फीस देय होगी।

(3) पुर्नविलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र में मूल वाद की आधी फीस देय होगी।

(4) अवमानना वाद में मूल वाद के बराबर फीस देय होगी।

(5) कैवियेट दाखिल करने की कोई फीस देय नहीं होगी वास्तविक व्यय का भुगतान किया जायेगा।

(6) किसी वाद, याचिका, अपील, विशेष अनुज्ञप्ति याचिका में किसी न्यायालय के अधिवक्ता को सम्बन्धित प्रकरण के लम्बन के दौरान हटाया जाता है तो उसे सम्बन्धित केस की उसी स्टेज तक की फीस का भुगतान देय होगा, परवर्ती नियुक्त अधिवक्ता को उसके पश्चात अवशेष फीस देय होगी।

(7) यदि विपक्षी पक्षकार ने परिषद के विरूद्ध अपील दाखिल की है तो मा0 न्यायालय में 'प्रति–शपथपत्र' दाखिल होने के पश्चात अधिवक्ता को कुल फीस का 1/3 भाग देय होगा। फीस की शेष धनराशि अन्तिम निर्णय के बाद देय होगी।

आवास आयुक्त

(8) विशेष परिस्थितियों में, आवास आयुक्त अपने विवेक के अनुसार अधिवक्ता द्वारा मांगी गई निर्धारित फीस से अधिक फीस दिये जाने का निर्णय लेने हेतु स्वतन्त्र होंगे।

(9) परिषद अधिवक्ता को माननीय न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति निकलवाने हेतु रू0 200/– का भुगतान देय होगा।

(10) File inspection हेतु रू0 100/– का भुगतान देय होगा।

(दीपक कुमार)
आवास आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर आवास आयुक्त एवं सचिव।
2– अपर आवास आयुक्त, मुख्यालय।
3– मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक/वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।
4– समस्त संयुक्त आवास आयुक्त/उप आवास आयुक्त/संयुक्त निबन्धक (सहकारिता)
5– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
6– समस्त सहायक आवास आयुक्त/सम्पत्ति प्रबन्धक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
7– परिषद अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित समस्त परिषद अधिवक्तागण।
8– समस्त सहायक विधि अधिकारी/पटल सहायक, विधि अनुभाग, मुख्यालय।
9– मुख्यालय के समस्त अनुभागध्यक्ष।
10– आवास आयुक्त (म0) के निजी सचिव।

वि० प्र० श्रीवास्तव
23-07-2009

(विन्ध्याचल प्रसाद श्रीवास्तव)
विधि परामर्शदाता